आदेश

जनपद में Novel Corona Virus (COVID-19) के संक्रमण में दिन–प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है कि Novel Corona Virus (COVID-19) के संक्रमण को नियन्त्रित किये जाने हेतु जनपद में समस्त ऐसी गतिविधियों को नियन्त्रित किया जाए जोकि Novel Corona Virus (COVID-19) के संक्रमण के प्रसार अथवा श्रृंखला (Chain) में सहायक हों अन्यथा की स्थिति में Novel Corona Virus (COVID-19) का प्रसार वृहद जनहानि का कारक हो सकता है।

अतः Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 एवम् Epidemic Diseases Act 1897 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, धीराज सिंह गर्ब्याल, जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल पूर्व पारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद नैनीताल के नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम, नगर पालिका परिषद, रामनगर एवं नगर पंचायत, लालकुआँ क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 26 अप्रैल, 2021 (सोमवार) की सायं 07–00 बजे से अग्रिम आदेशों तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश निर्गत करता हूँ।

1- उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत् सेवाओं से जुड़ी दुकानों व वाहनों को सशर्त प्रतिबन्ध से छूट निम्न प्रकार से रहेंगी :–

(i) फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट–मछली (वैध लाईसेंन्सधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें पूर्वाह्न 12–00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।

(ii) पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें कर्फ्यू के प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगी।

(iii) आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को मात्र ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।

(iv) हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने के लिए बैंक्वेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

(v) सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवम् मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

(vi) औद्योगिक इकाईयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने–जाने की छूट होगी।

(vii) रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।

(viii) शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

(ix) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

(x) मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।

(xi) वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

(xii) कोविड–19 जाँच एवम् टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

(xiii) पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेंगे। इनमें कार्यरत कार्मिकों को कार्यालय अवधि में आवागमन हेतु प्रतिबन्ध से छूट होगी।

(xiv) दिनाँक <u>26–04–2021 को बाजार सायं 07–00 बजे तक</u> खुले रहेंगे तथा सायं 07–00 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

(xv) कोविड–19 ड्यूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी हेतु आवागमन के लिए प्रतिबन्ध से छूट रहेगी।

(xvi) जनपद नैनीताल के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश यथावत् लागू रहेंगे।

2- कोविड–19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय–समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा–निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 व **Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020, Epidemic Diseases Act 1897** एवम् भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में मेरा समाधान हो गया है तथा इतना समय नहीं कि दूसरे पक्ष को भी सुना जा सके। इसलिए जन–सुरक्षा हित में एकपक्षीय आदेश आज दिनाँक 25–04–2021 को मेरे हस्ताक्षरों व कार्यालय मुहर से जारी किया गया है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल

पत्रांक : **810** /29–ए.आर.ए./2021 दिनाँक : 25 अप्रैल, 2021

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2- अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
3- सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
4- सचिव, चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
5- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को सादर सूचनार्थ।
6- समस्त जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
8- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
9- नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद, नैनीताल/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद नैनीताल।
10- अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र./वि. एवम् रा.), नैनीताल।
11- मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
12- समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद नैनीताल।
13- जिला सूचनाधिकारी, नैनीताल को जन–सामान्य के संज्ञानार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
14- अन्य सभी सम्बन्धितों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।